

2-12-2021

"प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021"

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

| | | |
|--------------------------------------|---------|--|
| वादी | ब | प्रतिवादी |
| मालचन्द पुत्र वैमाया कुंछा शकलपुय | ना म | राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी |

राजस्व वाद-पत्र = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 शुद्धि बाबत

वाद-पत्र नम्बर 266 / 2021 GCMS No. 2021/1027

| | | |
|-------------|------------------------------------|---|
| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|-------------|------------------------------------|---|

21/12/2021

वादी श्री मालचन्द पुत्र वैमाया
जाति कुंछा निवासी शकलपुय द्वारा आज "प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 " कैम्प ग्राम पंचायत चरकवाडा में एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्वत 2073-2076 ग्राम शकलपुय पटवार मण्डल चरकवाडा के खाता नम्बर 265 मे वादी की राजस्व रेकर्ड में प्रविष्टि

मालू पुत्र वैमा
दर्ज है, जो अशुद्ध है।
वादी का शुद्ध नाम मालचन्द पुत्र वैमाया है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा परिवार राशन कार्ड न. आधार नम्बर 4839 36780751 मतदाता पहचान RJ/25/196/054409 अन्य दस्तावेज की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

इस संबंध में हल्का पटवारी चरकवाडा भू.अ.नि एवं तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार चितावा से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादी का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंसा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल हो।



उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

106-1108